न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0— 17/2017(106/2015)

प्रविष्टि दिनांक — 14.11.2011

उनवान

भंवरलाल पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस तहसील व जिला टोंक

— वादी

बनाम

~~1. भंवरलाल पुत्र मोती दत्तक पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस हॉल पिलीतलाई टोंक (मृतक)~~

1/1. प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस हॉल पिलीतलाई टोंक

1/2. छोटूलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस हॉल पिलीतलाई टोंक

1/3. काली पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस हॉल पिलीतलाई टोंक

1/4. मथरा पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस हॉल पिलीतलाई टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री विजयकुमार पारीक — वकील वादी
श्री कैलाश अहलुवालिया— वकील प्रतिवादीण

वादपत्र बाबत— उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज तकारामा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :— 03/07/2019

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 28.12.2016 से मूल प्रकरण इस निर्देश के साथ वापस प्राप्त हुआ कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जारी डिक्री व निर्णय दिनांक 21.05.2016 अपास्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वाद व जवाब दावे के आधार पर विवाद्यक कायम किए जावे, तथा पक्षकारों को मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उभयपक्ष की बहस को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में तनकियात कायत की गयी।

संक्षेप्त में वादपत्र वादी इस प्रकार है कि भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम घांस पटवार हल्का घास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र घास तहसील व जिला टोंक है। जिसके पूर्व में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 6 मि0 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से बनाये गये है। जिसका अंकन भू प्रबन्ध विभाग की मिलान बन्दोबस्त सम्वत 2028 से 2047 वाके ग्राम घास तहसील व जिला टोंक में अंकित है। उक्त भूमि का भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने दौराने बन्दोबस्त उक्त भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा का गलत रूप से इन्द्राज भंवर लाल पुत्र घासी पुत्र नाथू के स्थान पर अन्य भंवर लाल पुत्र मोती दत्तक पुत्र घासी जाति गुर्जर के नाम लगा दिया तथा उक्त गलत अंकन के आधार पर साबिक भूमि खसरा नम्बर 6 मि. रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के बनाये गये हाल खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा का अंकन गलत रूप से भंवर लाल पुत्र घासी पुत्र रतना जाति गुर्जर के नाम अंकित कर दिया गया। जबकि पूर्व में उक्त भूमि वादी भंवर लाल, अम्बा लाल पुत्र नाथू के नाम दर्ज थी जिसका नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 29.05.1962 वादी भंवर लाल पुत्र घासी व वादी के भाई अम्बालाल पुत्र घासी थे। वादी भंवर लाल के भाई अम्बा लाल पुत्र घासी का देहान्त ला औलाद हो गया तथा अम्बा लाल की पत्नि का भी देहान्त हो चुका है। इस प्रकार घासी पुत्र नाथू का वादी ही एक मात्र जीवित कायत मुकाम एवं विधिक वारीस है। भंवर लाल के दादा रतना थे तथा रतना के 4 पुत्र मोती, घासी, उद्दा, छीतर थे। जिनमें से मोती के भेंरू व भंवर लाल दो लड़के पैदा हुए तथा भेरू भंवर

अधिकारी
(राज0)

Scanned by CamScanner

लाल का काका अर्थात रतना का पुत्र घासी ला औलाद फोत हो गया जिसके पीछे भंवर लाल चला गया उक्त भंवर लाल पुत्र मोती दत्तक पुत्र घासी ने अपने नाम का गलत रूप से फायदा उठा कर वादी की आराजी भूमि खसरा हाल खसरा नम्बर 8 जिसके साबिक खसरा नम्बर 6 व 17 है, को सेटल मेंट अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम करवा ली जिसको दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से भंवर लाल पुत्र मोती दत्तक पुत्र घासी पुत्र रतना के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिये जाने के कारण उक्त भंवर लाल पुत्र घासी पुत्र रतना के नाम से हटाया जाकर वादी भंवर लाल पुत्र घासी पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम घास तहसील व जिला टोंक के नाम दुरूस्त कर वादी को उक्त खसरा नम्बर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजात जमाबन्दी खतोनी संवत 2028–2047, खसरा बन्दोबस्त संवत 2022, फर्द इश्तलाक इन्द्राज खसरा वाके ग्राम घांस, जमाबन्दी संवत 2068–71, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी ग्राम घांस प्रस्तुत किये।

प्रतिवादी संख्या–1 ने जवाब दावा पेश किया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी भंवरलाल दत्तक पुत्र घासीलाल पुत्र रतना का कब्जा, काश्त एंव उसकी खातेदारी विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा के साथ अन्य खसरा नम्बरान 98, 100, 473, 818, व 1161 कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम घांस जिसका अंकन खाता सं. 158 नया व 146 पुराने में दर्ज है, का वादी भंवरलाल पुत्र घासी पुत्र नाथू से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है और ना ही उसका कोई कब्जा ही उक्त भूमि पर अरसा दराज से लेकर आज तक मौजूद है, बल्कि हकीकत यह है कि विवादित खसरा नम्बर के साथ अन्य उपरोक्त अंकित खसरा नम्बरान की समस्त भूमि पर प्रतिवादी भंवरलाल दत्तक पुत्र घासी पुत्र रतना जाति गुर्जर का कब्जा, काश्त एंव खातेदारी मौजूद है, जिसका उपयोग व उपभोग निरंतर वह एंव उसका परिवार करता चला आ रहा है। वादगस्त भूमि 9 बीघा 7 बिस्वा है जिसका वह कोई खयाल नहीं रख सके। सेटलमेन्ट से अब तक उक्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा है। वादी ने 44 साल विलम्ब से दावा पेश किया है जो मियाद बाहर है जो चलन योग्य नहीं है। मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

उक्त वादपत्र एंव जवाब में अंकित तथ्यों के अनुसार वाद में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

तनकी संख्या–1

आया वादी आराजी खसरा नम्बर 6 मि. रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के बनाये गये हाल खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम घांस में से प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र घासी गुर्जर का नाम हटाया जाकर अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।
जिम्मे वादी

तनकी संख्या–2

आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।
जिम्मे वादी

तनकी संख्या–3

आया प्रतिवादीगण गलत आधारों पर किये गये वादी के दावे को खारिज कराने के अधिकारी है।
जिम्मे प्रतिवादी

अधिकारी
(राज०)

तनकी संख्या–1

आया वादी आराजी खसरा नम्बर 6 मि. रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के बनाये गये हाल खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम घांस में से प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र घासी गुर्जर का नाम हटाया जाकर अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

Scanned by CamScanner

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। जिसके लिए वादी ने निम्न दस्तावेजात जमाबन्दी खतोनी संवत 2028–2047, खसरा बन्दोबस्त संवत 2022, फर्द इख्तलाक इन्द्राज खसरा वाके ग्राम घांस, जमाबन्दी संवत 2068–71, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी ग्राम घांस प्रस्तुत किये एंव स्वंय के साथ–साथ दो अन्य व्यक्तियों के शपथ–पत्र पेश किये। जिन्होने वादी के वाद में अंकित तथ्यों की पुष्ठि की है। इस प्रकार उक्त तनकी वादी सिद्ध करने में सफल रहा है।

तनकी संख्या–2

आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। जिसके लिए वादी ने शपथ–पत्र पेश किये है। सभी ने वादग्रस्त भूमि के मौके पर वादी का ही कब्जा पाया है। इस प्रकार वादी उक्त तनकी को अपने हक में सिद्ध करने में पूर्ण सफल नहीं रहा है।

तनकी संख्या–3

आया प्रतिवादीगण गलत आधारों पर किये गये वादी के दावे को खारिज कराने के अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। जिसके लिए प्रतिवादी ने कोई दस्तावेज, गवाह आदि पेश नही किये है। इस प्रकार प्रतिवादी अपनी उक्त तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहा है।

वकील उभय पक्ष की बहस एंव उक्त तनकीयात के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 6 मि. रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के बनाये गये हाल खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम घास तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है को प्रतिवादीगण भंवर लाल पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम घास के नाम से हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी भंवरलाल पुत्र घांसी जाति गुर्जर निवासी घांस को वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 6 मि. रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के बनाये गये हाल खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम घास तहसील व जिला टोंक (राज0) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि में से प्रतिवादीगण भंवर लाल पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम घास के नाम से हटाया जाता है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करें। पालना से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 03/07/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज॰)

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री जगदीश आर्य, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

भंवरलाल पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस तहसील व जिला टोंक

– वादी

बनाम

~~भंवरलाल पुत्र मोती दत्तक पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस हॉल पिलीतलाई टोंक (मृतक)~~

1/1. प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस हॉल पिलीतलाई टोंक
1/2. छोटूलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस हॉल पिलीतलाई टोंक
1/3. काली पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस हॉल पिलीतलाई टोंक
1/4. मथरा पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस हॉल पिलीतलाई टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री विजयकुमार पारीक – वकील वादी
श्री कैलाश अहलुवालिया– वकील प्रतिवादीण

वाद पत्र बाबत– उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा नं0 17/2017(106/2015)

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी भंवरलाल पुत्र घांसी जाति गुर्जर निवासी घांस को वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 6 मि. रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के बनाये गये हाल खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम घास तहसील व जिला टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि में से प्रतिवादीगण (राज0) भंवर लाल पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम घास के नाम से हटाया जाता है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करें। पालना से न्यायालय को अवगत करावें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02/07/2019 को जारी किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोट–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।